बाल विवाह मुक्त
हमारा
बिहार

दहेज मुक्त बिहार
संकल्प हमारा

पंचायती राज सदस्य
द्वारा
दहेज प्रथा एवं बाल विवाह
की रोकथाम के लिए टूलकिट

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

विषय सूची

सत्र 1: बाल विवाह क्या है और इसे समझना जरूरी क्यों है? 3

सत्र 2: निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए केस स्टडी (घटना वृतांत) 3

सत्र 3: दहेज प्रथा रोकना क्यों जरूरी है और इसे कैसे रोका जाये? 5

सत्र 4: मैं क्या कर सकता/सकती हूँ 6

पंचायती राज्य सदस्यों द्वारा बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया 7

जागरूकता फैलाना/निवारक पक्ष 7

बच्चों का संरक्षण अथवा बाल विवाह और दहेज के लेन–देन में तत्कालिक हस्तक्षेप 8

सत्र 1: बाल विवाह क्या है और इसे समझना जरूरी क्यों है?

इस चर्चा के अंत में प्रतिभागी अपने समुदाय में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति की पहचान करने और उसको रोकने के महत्व और जरूरत की पहचान करने में सक्षम हो जायेंगे।

समयः 60 मिनट

बाल विवाह की परिस्थिति और उसके वर्तमान प्रसार के बारे में प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें। उनके गांव में इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में उनसे जानकारियां प्राप्त करें। बाल विवाह पर कानून और उस संबंध में कार्यवाई कर सकने वाले अधिकारियों के बारे में चर्चा करें। उन लोगों के साथ कानून के अनुसार की जा सकने वाले कार्यवाई के बारे में चर्चा करें और साथ ही यह भी कि अधिकारियों को कौन रिपोर्ट कर सकता है।

विचार करें:

- वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से माता–पिता किशोर उम्र के लड़कियों व लड़कों की शादी कर देते हैं?
- बाल विवाह किशोर लड़कियों और लड़कों को किस प्रकार से प्रभावित करती है?
- बाल विवाह को रोकना क्यों महत्वपूर्ण व जरूरी है?
- आपके समुदाय में बाल विवाह को निषेध करने या रोकने के लिए अब तक क्या किया गया है?

फैसिलिटेटर (सहजकर्ता) के लिए नोटः इस बैठक का आयोजन करने से पहले तैयारी के क्रम में विषय चर्चा के संबंध में प्रदान किए गए अनुबंधों को पढ़ लें। प्रतिभागियों के बीच वितरण के लिए बुकलेट की पर्याप्त प्रतियाँ भी अपने साथ ले जाएं ।

सत्र २: निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए केस स्टडी (घटना वृतांत)

इस चर्चा के अंत में प्रतिभागी कानून की मुख्य विशेषताओं, अधिकारियों की पहचान करने और बाल विवाह को रोकने से सम्बंधित प्रावधानों को सूचीबद्ध करने में सक्षम हो जाएँगे।

समयः 60 मिनट

इसका प्रयोग करें: पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ काम करने पर संलग्नक, बाल विवाह से संबंधित कानून पर संलग्नक, सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं पर संलग्नक।

नीचे दी गई केस स्टडी (घटना वृतांत) को पढ़ें। प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें कि रानी की मदद करने के लिए वे क्या कर सकते हैं और उन्हें किस प्रकार हस्तक्षेप करना चाहिए। रानी के मामले में उनकी भूमिका के महत्व पर चर्चा करने के लिए पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ काम करने पर संलग्नक का संदर्भ लें। इसके अलावा, उन लोगों के साथ चर्चा करें कि रानी का बाल विवाह हो जाने पर किन मौजूदा कानूनों का उल्लंघन होगा और इस शादी का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस चर्चा के लिए संदर्भ के रूप में सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं पर संलग्नक तथा बाल विवाह से संबंधित कानून पर संलग्नक का प्रयोग करें।

विचार करें:

- यदि रानी का बाल विवाह हो जाता है तो उसके जीवन पर क्या असर होगा?
- उसकी शादी को कैसे टाला जा सकता है?
- इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कौन–कौन लोग मदद कर सकते हैं?
- उसकी शादी को रोकने या उसको टालने के लिए वो कौन सी योजनाएँ हैं, जिनसे वह और उसके माता–पिता लाभान्वित हो सकते हैं?

फैसिलिटेटर (सहजकर्ता) के लिए नोट: इस बैठक का आयोजन करने से पहले बैठक के लिए तैयारी करने के के क्रम में विषय चर्चा के संबंध में प्रदान किए गए संलग्नकों को पढ़ लें। चर्चा के दौरान संदर्भ के लिए नीचे दी गयी केस स्टडी (घटना वृतांत) की पर्याप्त प्रतियाँ बनाकर साथ रखें।

निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए केस स्टडी (घटना वृतांत)

निम्नलिखित केस स्टडी (घटना वृतांत) का इस्तेमाल पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से यह पूछने के लिए किया जा सकता है कि परिणाम को बदलने में वे किस प्रकार से मदद कर सकते थे। नीचे दिए गए प्रश्न, उत्पन्न हो रही बाधाओं से निपटने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए सुझाव के रूप में दिए गए हैं।

रानी हेसापिडी गांव के निवासी बुद्ध महतो और जवा देवी की 12 साल की बेटी है। रानी अनपढ़ है वह कभी भी स्कूल नहीं गई।

दहेज के डर से यौवनावस्था की शुरुआत में ही युवा बेटियों की शादी कर देना हेसापिडी गांव में आम बात है। गांव वालो को लगता है की जल्दी शादी कर देने से कम दहेज देना पड़ेगा। चूंकि इसका विरोध करने के लिए कोई आवाज नहीं उठता है, इसलिए यह अभ्यास काफी बड़े पैमाने पर होता है।

इस तरह के एक अंधकारमय परिदृश्य में 12 वर्षीय रानी की शादी 20,000 रुपये की दहेजराशि के साथ नवंबर 2013 में गया के एक 28 वर्षीय व्यक्ति के साथ तय कर दी गई । अनपढ़ और बाल्यावस्था में होने के नाते, रानी भली भांति यह समझने में असमर्थ थी कि प्रस्तावित विवाह का असर उसकी जिन्दगी में क्या प्रभाव डालेगा।

गांव में रानी के तय हुई शादी की घोषणा की जाती है, जिसकी जानकारी सरपंच और बाल विवाह के खिलाफ काम करने वाले एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन के साथ प्रशिक्षित महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) तक पहुँचती है। स्वयं सहायता समूह के सदस्य कार्यवाई करने और रानी की शादी को रोकने का फैसला करते हैं। वे पंचायत मुखिया श्री रमेश सिंह के सहयोग से पुलिस और स्थानीय मीडिया को तय की गई शादी के बारे में सूचना देते हैं। इस कार्यवाई के चलते जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।

बाल विवाह के नकारात्मक परिणामों पर बढ़ी हुई जागरूकता और ज्ञान ग्रामीणों (मुखिया, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पुलिस, आदि) की धारणा को बदलने में मददगार बनती है । उस गांव में बाल विवाह को रोकने के लिए पहली बार कार्यवाई की गयी थी, और इसने गांव और आसपास के इलाकों में इस तरह की घटनाओं का सामना होने पर कार्यवाई करने के लिए अन्य समुदाय के सदस्यों के लिए एक मिसाल कायम की है।

चर्चा के लिए प्रश्न:

- एक निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, आप रानी के पिता से क्या कहते?
- क्या आपको लगता है कि सरपंच के लिए अपने गांव के लोगों के खिलाफ कार्यवाई करना आसान था?
- उन्होने बाल विवाह करने वाले अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाई को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समर्थन किस प्रकार प्राप्त किया था?

सत्र 3: दहेज प्रथा रोकना क्यों जरूरी है और इसे कैसे रोका जाये?

उद्देश्य

- प्रतिभागी दहेज प्रथा के बारे में जानेंगे।
- प्रतिभागी जानेंगे कि दहेज और महिलाओं के प्रति हिंसा में क्या सम्बन्ध है।
- प्रतिभागी दहेज पर कानून के बारे में जानेंगे।

अवधि: 90 मिनट

सामग्री: व्हाइट बोर्ड और मार्कर्स

प्रक्रिया:

1. प्रतिभागियों से पूछें कि क्या उनके समुदाय में दहेजधतिलक की प्रथा है। दहेज कौन देता है और कौन लेता है?
2. तिलक में लेन–देन की बात कौन, कब और कैसे करता जाता है?
3. प्रतिभागियों को 3–4 छोटे समूहों में बाँट दें और प्रत्येक समूह को निम्न के बारे में एक रोल–प्ले तैयार करने के लिए कहें
   - पहला ग्रुप/समूह तिलक के लेन–देन के बात–चीत को दर्शाएंगे
   - दूसरा ग्रुप/समूह तिलक के बात–चीत को कैसे रोक सकते हैं यह दर्शायें
   - तीसरा ग्रुप/समूह यह दिखाएँ कि शादी के बाद भी दहेज की मांग कैसे जारी रहती है
   - चौथा ग्रुप/समूह यह दर्शाए कि समुदाय की और लोग इस प्रथा को कैसे रोक सकतें है?
4. सहजकर्ता नीचे दिए गए तालिका को व्हाइटबोर्ड पर बना लें

प्ले में क्या दर्शाया?	इस में किस तरह के हिंसा को दिखाया गया?	हिंसा कौन कर रहा था?	हिंसा किस के साथ हो रहा था?	इन पर हिंसा का क्या प्रभाव पड़ा?	इन के कौन से अधिकारों का हनन हुआ?	इस को रोकने के लिए किन के साथ काम कर सकतें हैं? किस तरह का काम कर सकतें हैं?

5. हर एक रोल–प्ले के बाद ऊपर दी गयी तालिका को भरें और उसके आधार पर चर्चा करें।
6. सत्र के अंत में तालिका के बिंदुओं पर चर्चा करते हुए दहेज प्रथा और महिलाओं के प्रति हिंसा के सम्बन्ध को समझाएं।
7. साथ ही यह भी चर्चा करें की इसका लड़कियों और महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।

चर्चा के कुछ बिंदु:

- इन सभी स्थितियों में हिंसा किसके साथ हो रही है?
- हिंसा करने वाले कौन थे? जिसके साथ हिंसा हो रही है क्या हिंसा करने वाले उनके जान पहचान के लोगों में से ही हैं?
- जिनके साथ हिंसा हो रही है उन पर हिंसा का क्या प्रभाव पड़ सकता है?
- ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर रोल–प्ले में एक जैसी थी?

- इस तालिका से हमें क्या पता चलता है?
- दहेज को रोकने के लिए किसके साथ किस तरह का काम कर सकतें हैं?
- हमारा कानून क्या कहता है?

सहजकर्ता के लिए नोट्स:

ज्यादातर हिंसा के घटनाओं में लड़की/महिलाएं, उनके परिवार के सदस्य या उनके बच्चे प्रभावित होते हैं। पितृसत्तात्मक सोच के वजह से समाज में लड़की के परिवार वालों का दर्जा कम माना जाता है। इसके आलावा हिंसा करने वाले अक्सर महिला या लड़की के परिवार वाले, रिश्तेदार या जान–पहचान के होतें हैं। इस कारणवश उसके खुद का घर उसके लिया असुरक्षित बन जाता है, और वह कमजोर पड़ जाती है। उसके पास सुरक्षा पाने के सम्बन्ध में जानकारी का अभाव होता है तथा उसकी संसाधन इत्यादि तक पहुँच भी सिमित ही होती है, जो कि हिंसा मुक्त जीवन जीने का आधार होते हैं।

नीचे दी गयी तालिका रोल–प्ले और चर्चा से निकली हुई बातों का उदाहरण हैं:

प्ले में क्या दर्शाया?	इस में किस तरह के हिंसा को दिखाया गया?	हिंसा कौन कर रहा था?	हिंसा किस के साथ हो रहा था?	इन पर हिंसा का क्या प्रभाव पड़ा?	इन के कौन से अधिकारों का हनन हुआ?	इस को रोकने के लिए किन के साथ काम कर सकतें हैं? किस तरह का काम कर सकतें हैं?
यहाँ पर रोल–प्ले में दर्शायी गयी घटना को लिखें जैसे कि दहेज के लेन–देन की बात कौन और किसके साथ कर रहें हैं इत्यादि	मौखिक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनिक हिंसा इत्यादि	पिता, भाई, चाचा, दादा, दादी, बहन, मां, ससुर, सास, देवर इत्यादि	बेटी, बहन, दीदी इत्यादि	शादी नहीं हुई, पढ़ाई रोक दी गयी, शादी के बाद भी हिंसा सहना पड़ा, लड़की का आत्मा–विश्वास कम होना, इत्यादि	यहाँ जिन अधिकारों का हनन हुआ है, उनके नाम लिखें	

सत्र ४: मैं क्या कर सकता/सकती हूँ

उद्देश्य

इस सत्र के अंत में सभी प्रतिभागी बाल विवाह पर और उससे संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए वे क्या कर सकते हैं, इसकी सूची बनाने में सक्षम हो जाएँगे।

समय: 60 मिनट

इसका प्रयोग करेंरू लैप टॉप, प्रोजेक्टर, एक्सटेंशन कार्ड, स्पीकर (अनिवार्य नहीं), SOP पर प्रेजेंटेशन/चार्ट पेपर में लिखित SOP

विचार करें

प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें कि वे पंचायती राज सदस्य के तौर पर क्या कर सकते है। चर्चा के पश्चात् SoP प्रेजेंटेशन करें या फिर चार्ट पेपर में लिखित SOP के द्वारा फिर प्रतिभागियों से चर्चा करें

फैसिलिटेटर (सहजकर्ता) के लिए नोट:

पंचायती राज्य सदस्यों द्वारा बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

वार्ड सदस्य, सरपंच और जिला पंचायती राज अधिकारी के बतौर बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ स्थानीय परिस्थिति को समझते हुए कार्यवाई शुरू करना जरूरी होता है। बाल विवाह और दहेज प्रथा के दुष्प्रभावओं पर समुदाय में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए उपलब्ध प्रत्येक अवसर का उपयोग करें और इसके लिए आप निम्न कदम उठा सकते है।

जागरूकता फैलाना/निवारक पक्ष

1. यह सुनिश्चित करें कि आपके परिवार में किसी भी लड़के या लड़की की शादी उसकी कानूनी उम्र पूरी होने से पहले न हो एवं शादी में दहेज का लेन–देन न हो।
2. गांव में किसी भी बाल विवाह समारोह में शामिल न हों।
3. अपने पंचायत बैठकों और ग्राम सभा में बाल विवाह और दहेज प्रथा के मुद्दे पर चर्चा करें, तथा अपने ग्राम पंचायत में बाल विवाह एवं दहेज पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव पास करवाएं।
4. बाल विवाहों और दहेज लेने और देने के दुष्परिणामों पर लोगों से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करें और ऐसा न करने के लिए उन्हें सलाह दें। समुदाय के सदस्यों को बाल विवाह एवं दहेज के विरुद्ध प्रतिज्ञा करने के लिए प्रोत्साहित करें।
5. समुदाय में बच्चों के लिए बाल विवाह और दहेज प्रथा के निहितार्थध्परिणाम पर चर्चा आयोजित करें, जैसे कि उन्हें बाल विवाह के कारण होने वाले कम उम्र में प्रसव, खराब मातृ स्वास्थ्य और उनकी मृत्यु, खराब शिशु स्वास्थ्य और उनकी मृत्यु, एचआईवी संक्रमण का उच्च खतरा, निम्न स्तर की शिक्षा, खराब आर्थिक स्थिति और आजीविका के खराब अवसर, घरेलू हिंसा की बढ़ती संभावनाएं और घर में निर्णय लेने की कम शक्ति के बारे में शिक्षित करें।
6. समुदाय में बाल विवाह उत्सव के आयोजन के सम्बन्ध में और दहेज प्रथा के कानूनी नियम और परिणामों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता सत्रों का आयोजन करें।
7. समुदाय में सूचित कर दें कि बाल विवाह निषेध कानून, 2006 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के किसी भी प्रकार के उल्लंघन होने पर उल्लंघन करने वालों के ऊपर आप कानूनी कार्यवाई करेंगे।
8. पंचायत के सार्वजनिक कार्यक्रमों, जैसे–ग्राम सभा, त्यौहारों के उत्सव और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने वाले व्यक्तियों और परिवारों की सार्वजनिक तौर पर सराहना और उनका अभिनन्दन करें।
9. बाल विवाह के परिणामों पर जागरूकता फैलाने और इसके बारे में लोगों को शिक्षित करने में बाल विवाह अधिकारियों (CMPO) और अन्य सरकारी अधिकारियों के प्रयासों में सहायता प्रदान करें। साथ ही दहेज के लेन–देन को रोकने के लिए सरकारी अधिकारीयों के प्रयासों में सहायता प्रदान करें।
10. ग्राम सभा में, स्कूल प्रबंधन समिति की बैठकों में, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसरों व अन्य खुशी के मौकों पर बाल विवाह और दहेज प्रथा की चर्चा मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में करें।
11. जब लोग विवाह में देरी करने से, और दहेज प्रथा को रोकने के कुछ फायदा व उन्नति देखेंगे तो वे बाल विवाह और दहेज प्रथा का विरोध करने के लिए प्रेरित और आश्वस्त होंगे।
12. बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनके शिक्षा के महत्व पर बात करें, और शादी करने के लिए स्कूल छोड़ने के बजाय लड़कियों और लड़कों के लिए स्कूली शिक्षा पूरी करने की आवश्यकता पर जोर दें। साथ ही बना दहेज के शादी करने के लाभ पर भी जोर दें।
13. जाति के प्रमुख लोगों और नेताओं को प्रेरित करें कि वे अपने समुदाय और जाति में बाल विवाह और दहेज देने और लेने के खिलाफ प्रस्ताव पारित करायें, और इस प्रकार बाल विवाह और दहेज प्रथा का निषेध करें।

14. पंचायती राज संस्थानों (PRI) के वार्ड, गांव, ब्लॉक और जिला प्रतिनिधियों के रूप में अपने पंचायत के भीतर बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने के प्रस्तावों को पारित करें।

बच्चों का संरक्षण अथवा बाल विवाह और दहेज के लेन-देन में तत्कालिक हस्तक्षेप

1. पंचायत यह सुनिश्चित कर सकती है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के जो सदस्य बाल विवाह को संपन्न कराने में या दहेज के लेन–देन में शामिल होंगे उन्हें कानून के तहत दंडित किया जाएगा।
2. एक सशक्त गांव स्तर समिति स्थापित करें (उदाहरण के लिए बाल संरक्षण समिति, गांव शिक्षा समिति, आदि), जिसमें समुदाय से अलग–अलग हिस्सों के लोग शामिल हों। यह समिति गांव में बाल विवाह और दहेज के लेन–देन पर निगरानी रखने के लिए कार्य करें।
3. आपने पंचायत में होने वाले सभी विवाहों का पंजीकरण करवायें, जिसमे वर और वधु की उम्र का सत्यापन हो, और इसकी रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी को भेजे। इन सभी दस्तावेजों का बिहार विशेष नियमावली के अंतर्गत सत्यापन किया जायेगा।
4. बाल विवाह निषेध अधिनियम के धारा 16 (2) के अनुसार बाल विवाह को रोकने में बाल विवाह निषेध अधिकारी की सहायता करना पंचायती राज संस्थान के सदस्यों का कर्तव्य है। बाल विवाह निषेध अधिकारी अथवा पुलिस को आवश्यक सूचना और सहयोग प्रदान करके कानून लागू करने में सहायता कर सकते हैं।
5. यदि कुछ खास परिस्थितियों में आपकी सलाह नही मानी जाती है और बाल विवाह संपन्न हो जाता है, तब ऐसी परिस्थिति में पुलिस या CMPO या किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल कल्याण समिति अथवा कार्यकारी मजिस्ट्रेट/न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी/जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करें। इन अधिकारियों के पास ऐसे मामलों में कार्यवाई करने के लिए आवश्यक अधिकार और शक्तियां होती हैं।
6. यदि दहेज का कोई भी मामला आपकी नजर में आता है तो इसकी सूचना आप पुलिस और जिला कल्याण अधिकारी (SCST) को भी दे सकते है। इन सबकी सूची बिहार के स्टेट वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन के पास जाती है।
7. यदि बाल विवाह या दहेज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ग्राम पंचायत के भीतर से है, तो कानूनी कार्यवाई के अलावा उसकी पंचायती राज से सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। पंचायत के अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाई करने के लिए सदस्य सचिव के ऊपर दबाव डालना चाहिए।
8. ग्राम शिक्षा समिति को बाल विवाह और दहेज के मुद्दे पर जागरूक करते हुए उसके सदस्यों को निगरानी की भूमिका निभाने के लिए सक्षम बना सकते हैं। इस प्रकार ग्राम शिक्षा समिति की मदद से सभी बच्चों (विशेषकर लड़कियों) का स्कूल में नामांकन कराने और उन्हें स्कूल की पढ़ाई पूरी करने में सहायता कर सकते हैं।
9. स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को पुनः स्कूल में नामांकन कराकर तथा स्कूल में उनकी शिक्षा को जारी रखना सुनिश्चित करके, और सबके लिए शिक्षा की गारंटी करके बाल विवाह को रोका जा सकता है।
10. ग्राम पंचायत सदस्य सीधे हस्तक्षेप के माध्यम से बाल विवाह या दहेज के लेन–देन को रोकने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।
11. बाल विवाह निषेध अधिकारी, दहेज निषेध अधिकारी या पुलिस को आवश्यक सूचना और सहयोग प्रदान करके कानून लागू करने में उनकी सहायता कर सकते हैं।
12. समुदाय में विभिन्न हितधारक समूहों के बीच रणनीतिक नेटवर्क का निर्माण करें और समुदाय में पुरुषों और महिलाओं, गांव के वृद्ध और नेता (जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों), माता–पिता, युवा, किशोर लड़कियां, बच्चों के समूहों, शिक्षकों और मजदूरों के भीतर इस मुद्दे को समर्थन देने वाले सहयोगी ढूढें।
13. बाल संरक्षण समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, सामाजिक न्याय समिति आदि जैसे गांवों में विभिन्न स्थानीय निकायों के सदस्य बनें।

14. किशोर लड़कियों और लड़कों के समूहों को गठित करें और उनके समूहों को मजबूत करें। इन समूहों के माध्यम से उन्हें बाल विवाह तथा दहेज के दुष्प्रभाओं और सम्बंधित कानूनों के बारे में शिक्षित करें। स्कूलों में उनकी उपस्थिति और स्कूली पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करें।

15. विवाह में विलंब करने के लिए सरकार द्वारा चलाये गए विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में समुदाय के लोगों को बताएं।

16. लोगों को संबंधित विभागों के साथ जोड़ने में मदद करें ताकि परिवार विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के लाभ ले सकें, और विवाह को कानूनी आयु तक टालने के लिए और दहेज प्रथा रोकने और खत्म करने के लिए प्रेरित हो सकें।

17. अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को साक्ष्य जुटाने में सहायता प्रदान करें।

18. दहेज पीड़ितों और बाल विवाह के शिकार हुए किशोरियों की रक्षा करने और उन्हें आवश्यक सहायता तथा आश्रय प्रदान करने के लिए जरूरी कदम उठायें।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग